

वृहद खनिज योजना प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होना प्रस्तावित है। इस योजना के कार्य क्षेत्र (डुब क्षेत्र नहर, बांध) आदि में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(जी.एस. मण्डलोई)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)

ऐतिहासिक / पूरात्तव धरोहर न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होना प्रस्तावित है। उक्त वन भूमि में कोई भी ऐतिहासिक / पूरात्तव नहीं है।


(जी.एस. मण्डलोई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। उक्त वन परिक्षेत्र पानसेमल के आरक्षित वनखण्ड धावड़ी अन्तर्गत कक्ष क्रमांक 727,725,724,728 का है। उक्त आवेदित क्षेत्र अन्तर्गत कोई संरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान ओर महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है।


(जी.एस. मण्डलोई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)

पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होना प्रस्तावित है। इस योजना के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण हानी नहीं है एवं पर्यावरण संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(जी.एस. मण्डलोई)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग बड़वानी

जिला बड़वानी (म.प्र.)

नेट प्रेजेन्ट वेल्यु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होना प्रस्तावित है। परियोजना अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि के नेट प्रेजेन्ट वेल्यु एवं भविष्य में नेट प्रेजेन्ट वेल्यु पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त देय राशि मांग अनुसार भुगतान की जावेगी। जल संसाधन संभाग बड़वानी वचन बद्ध है।


(जी.एस. मण्डलोई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)


केचमेंट ऐरिया ट्रिटमेंट प्लान

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 1325 हेक्टर होने से यह योजना लघु सिंचाई योजना की श्रेणी में आती है। अतः केचमेंट ऐरिया ट्रिटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।


(जी.एस. मण्डलीई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)

व्यवस्थापन प्लान प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होना प्रस्तावित है। उक्त योजनान्तर्गत किसी का व्यवस्थापन नहीं किया है। प्रकरण में यदि किसी को व्यवस्थापित किया जाता है, तो पूर्ण जवाबदारी जल संसाधन विभाग की रहेगी।


(जी.एस. मण्डलीई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)

रिक्लेमेशन प्लान एवं अतिरिक्त देय राशि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होना प्रस्तावित है। उक्त योजनान्तर्गत रिक्लेमेशन प्लान एवं अतिरिक्त देय राशि का वचन दिया जाता है।


(जी.एस. मण्डलोई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)

प्रमाण – पत्र

वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि भुगतान का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी तालाब परियोजना में आने वाले वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित हो रहा है। उक्त वन भूमि उपयोग के बदले दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जो भी राशि विभाग द्वारा चाही जावेगी उसे भुगतान करने के लिये जल संसाधन संभाग, बड़वानी जिला बड़वानी वचन बद्ध है।

(जी.एस. मण्डलोई)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग बड़वानी

जिला बड़वानी (म.प्र.)

भु-क्षरण की संक्षिप्त टिप्पणी

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। उक्त वन परिक्षेत्र पानसेमल के आरक्षित वनखण्ड धावड़ी अन्तर्गत कक्ष क्रमांक 727,725,724,728 का है। उक्त वन भूमि उपयोग से परियोजना के निर्माण के पश्चात् आसपास की वन भूमि जल स्तर बढ़ेगा एवं भु-क्षरण कम होगा।

(जी.एस. मण्डलोई)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग बड़वानी

जिला बड़वानी (म.प्र.)

प्रमाण-पत्र

सुरक्षा एवं अनुरक्षण में व्यय राशि का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होकर क्षेत्र में आने वाले वृक्ष जो काटे जावेगे संख्या का दुगुना (वैकल्पिक वृक्षारोपण के तहत) वृक्ष की योजना सातवर्षीय सुरक्षा एवं अनुरक्षण में व्यय होने वाली राशि वन मंडल द्वारा मांग अनुसार जल संसाधन संभाग विभाग मध्य प्रदेश द्वारा वन विभाग मध्य प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का वचन पत्र देती है।


(जी.एस. मण्डलोई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)

प्रमाण-पत्र

शर्त मान्य करने एवं मुआवजा भुगतान का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। उक्त वन भूमि उपयोग के बदले भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी वन विभाग द्वारा जो शर्त अभिरोपित की जावेगी या भविष्य में अभिरोपित की जावेगी एवं मुआवजा राशि जो भी निर्धारित की जावेगी। उसे भुगतान करने हेतु जल संसाधन संभाग, बड़वानी जिला बड़वानी वचन बद्ध है।

(जी.एस. मण्डलोई)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग बड़वानी

जिला बड़वानी (म.प्र.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। उक्त वन परिक्षेत्र पानसेमल के आरक्षित वनखण्ड धावड़ी अन्तर्गत कक्ष क्रमांक 727,725,724,728 का है। उक्त आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी, कोरिडोर आदि का भाग नहीं है।


(जी.एस. मण्डलोई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)


आवेदित क्षेत्र के सर्वेक्षण के संबंध में

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होना प्रस्तावित है। इस पर ग्रामीणों द्वारा ग्राम राखी खुर्द के निकट तालाब निर्माण की मांग की गई है। योजना के सर्वेक्षण का कार्य वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) वन मंडल सेंधवा के आदेश अनुसार किया गया है।


(जी.एस. मण्डलोई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)


प्रतिपूरक वनीकरण भुगतान का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर प्रभावित होना प्रस्तावित है। परियोजना अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि के संबंध में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु जो भी राशि की मांग की जावेगी। राशि मांग अनुसार भुगतान हेतु जल संसाधन संभाग बड़वानी वचन बद्ध है।


(जी.एस. मण्डलोई)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)

प्रतिपूरक वनीकरण तथा अनुरक्षण / दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुसरी नदी परियोजना में आने वाला वन क्षेत्र रकबा 28.08 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। उक्त वन भूमि उपयोग के बदले प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण ओर दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ राज्य सरकार द्वारा / वन विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत ओर सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण का जल संसाधन संभाग बड़वानी जिला बड़वानी वचन बद्ध है।


(जी.एस. मण्डलोई)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग बड़वानी
जिला बड़वानी (म.प्र.)